तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :— 116/2024 संजय कुमार बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम शिशियां तहत तहसील झुन्झुनू के हाल भूमि ख. नं. 24 रकबा 2.87 है. ख. नं. 26 रकबा 0.06 है०, ख. नं. 27 रकबा 0.01 है. गैर मुमकिन कुआं ख. नं. 28 रकबा 2.88 है०, ख. नं. 29 रकबा 0.07 है० स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम संजीव कुमार दर्ज है जबकि आवेदक के शिक्षा से संबंधित दस्तावेजात में तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजात में आवेदक का नाम संजय कुमार है लेकिन प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन की खातेदारी में आवेदक का नाम संजय कुमार की बजाय संजीव कुमार सहवन से दर्ज हो गया जबकि दस्तावेजात के मुताबिक सही रूप से संजय कुमार दर्ज होना चाहिये था जिसे दुरूस्त किया जावे। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड और प्रार्थी अशोक पुत्र रामलाल के शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से भी प्रार्थी का सही नाम संजीव कुमार की बजाय संजय कुमार होना साबित होता है। अतः बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :— —: आदेश :— प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम शिशियां तहत तहसील झुन्झुनू के हाल भूमि ख. नं. 24 रकबा 2.87 है., खसरा नं. 25 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 26 रकबा 0.06 है०, ख. नं. 27 रकबा 0.01 है. गैर मुमकिन कुआं ख. नं. 28 रकबा 2.88 है०, ख. नं. 29 रकबा 0.07 है० में प्रार्थी/आवेदक का नाम संजीव कुमार पुत्र रामलाल की बजाय संजय कुमार पुत्र रामलाल दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/1/25 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	